न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1054–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–3–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास प्रकरण कमांक 17/2013–14/अपील

धर्मेन्द्र यादव पिता रमेशचन्द्र यादव
निवासी कालीसिंध मार्ग सोनकच्छ
जिला देवास, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. हफीजखां पिता मुंशीखां
   निवासी ग्राम सोनकच्छ पटवारी हल्का नं0 27,
   सोनकच्छ जिला देवास
2. नवाबखां पिता कालेखा
   निवासी हाथीथान मोहल्ला सोनकच्छ
   जिला देवास म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री मंयक व्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 6 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास के आदेश दिनांक 27–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि तहसील

न्यायालय द्वारा पंजी कमांक 4 आदेश दिनांक 16—8—2013 के नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 27—3—2014 के द्वारा प्रस्तुत अपील को समय—सीमा में मानकर ग्राह्य की गई तथा स्थगन आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक ने अनावेदक कमांक 2 नवाबखां से ग्राम सोनकच्छी स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 44 एवं 45 में से कुल रकबा 1.06 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 646 दिनांक 03—1—2013 के माध्यम से कय की थी। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने विधिवत विज्ञप्ति जारी कर पटवारी अभिलेख एवं राजस्व अभिलेख के अवलोकन करने के उपरांत पंजी कमांक 4 आदेश दिनांक 16—8—2013 के द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया और विधिवत भू—अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदान की गई। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने लगभग एक वर्ष से समयबाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय—सीमा में मानने में त्रुटि की। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर आवेदक को सुने स्थगन आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है तथा स्थगन की आढ़ में अनावेदक कमांक 1 आवेदक की भूमि पर कब्जा करने पर अमादा है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27—3—2014 को दिया गया स्थगन आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित साम्पत्तिक द्वितीय अपील अजयसिंह पिता कालूसिंह तथा सजनसिंह पिता कालूसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की जो अपील प्रकरण कमांक 537/1999 पद दर्ज हुई। उक्त सम्पत्तिक द्वितीय अपील के लंबित रहते निगरानीकर्ता को विकय करने वाले नवाब खां पिता कालेखां द्वारा दिनांक 06–5–2010 को अजयसिंह व सजनसिंह के हित में अपने समस्त स्वत्व वादग्रस्त भूमि में त्याग कर अजयसिंह व सजनसिंह से दिनांक 06–5–2010 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राजीनामा कर लिया था, परन्तु दौरान साम्पत्तिक द्वितीय अपील के लंबित रहते अपने समस्त स्वत्व नवाबखां द्वारा प्रतिफल लेकर त्यागने के बाजूद मात्र राजस्व अभिलेख में अपना नाम होने का फायदा उठाकर अनावेदक कमांक 2 ने आवेदक को बोगस अवैध विकय पत्र निष्पादित कर दिया जो प्रारंभतः ही शून्यवत होकर निरस्ती योग्य तथा अवैध अन्तरण के आधार पर किया वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का नामांतरण निरस्ती योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 06–5–2010 को किये गये राजीनामा अनुसार द्वितीय अपील में दिनांक 02–7–2015 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 नवाबखां का समस्त स्वत्व समाप्त कर दिया है इस कारण आवेदक का भी वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं रहता है। यह भी तर्क दिया कि नामांतरण आदेश की जानकारी होने पर जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है तथा प्रकरण की स्थिति को देखकर प्रकरण में जो स्थगन दिया गया है वह उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27—3—2014 को चुनौती दी गई है, अतः इसी आदेश के वैधानिकता पर विचार किया जा रहा है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 5 के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया केवल प्रकरण अपील मद में दर्ज किया है तथा अनावेदकों को सूचना पत्र जारी किया है। आदेश पत्रिका में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन स्थगन आदेश में किसी तारीख अथवा आगामी पेशी तक स्थगन आदेश जारी करने का उल्लेख नहीं है। अपितु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकारों एवं पटवारी मौजा को जारी स्थगन में अपील प्रकरण के निराकरण तक अपीलांट के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करने तथा किसी अन्य से कराने का उल्लेख है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 (2) के परन्तुक के अनुसार —*"आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा।"*

अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आदेश देते समय संहिता के प्रावधान का पालन नहीं किया है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थगन देने संबंधी अंश तक निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात धारा 5 एवं स्थगन के बिन्दु पर निर्णय लें तत्पश्चात प्रकरण का गुण—दोषों पर निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर